

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230676
SG-DL-E-23102021-230676

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21, 2021/आश्विन 29, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 221
No. 308]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2021/ASVINA 29, 1943	[N. C. T. D. No. 221

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2021

फा.सं. 11(69)/डी०सी०एफ०/पी०ए०/96/पी०टी०/6118-34.—अधिसूचना संख्या F.PA/Secy/Env/99/15/2485 दिनांक 24.08.1999 के निरंतरता में, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 5 (1994 के अधिनियम संख्या 11), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके नियंत्रण और किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन वृक्ष प्राधिकरण की धारा 3 में सभी चार उप वन संरक्षक अर्थात् डी०सी०एफ० (केंद्रीय), डी०सी०एफ० (पश्चिम), डी०सी०एफ० (दक्षिण) और डी०सी०एफ० (उत्तर) को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर वन मंडलों के रूप में वृक्ष अधिकारी नियुक्त करती है।

ये नियुक्तियां वन संरक्षक दिल्ली के वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति के अतिरिक्त हैं।

यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE**NOTIFICATION**

Delhi, the 21st October, 2021

No. F.11(69)/DCF/PA/96/Pt.I/6118-34.—In continuation of the Notification No. F.PA/Secy/Env/99/15/2485 dated 24th August, 1999, and in exercise of the powers conferred under section 5 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (11 of 1994) the Government of National Capital Territory of Delhi hereby appoints subject to its control and subject to any general or special order of the Tree Authority referred to in section 3 thereof, all the four Deputy Conservators of Forest namely D.C.F. (Central), D.C.F. (West), D.C.F. (South), D.C.F. (North) as the Tree Officers in their respective territorial jurisdiction known as Central, West, South and North Forest Divisions, for the purposes of the said Act.

These appointments are in addition to the appointment of Conservator of Forests Delhi, as the Tree Officer.

This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)